सामान्य ज्ञान-विज्ञान का संपूर्ण कोश

मनोरमा इयर बुक 2024

स्पेशल फोकस

पीएससी प्रतियोगी परीक्षाएं

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर

भारत का अपना अंतरिक्ष केंद्र शीघ्र- श्रीधर सोमनाथ

भारत की सड़कें 5 वर्ष में अमरीकी स्तर की होंगी- नितिन गडकरी

भारतीय अर्थव्यवस्था 2031 तक 7.5 ट्रिलियन डॉलर की- अमिताभ कांत

लोकतंत्र पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, धर्मनिरपेक्षता पर सोनिया गांधी के विशेष लेख



सायबर सिक्योरिटी

महिला आरक्षण अधिनियम

भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति

चंद्रयान-3

आदित्य एल-1

नया संसद भवन

एशियाई खेल

Visit **www.manoramayearbook.in**

for daily updates on current affairs, UPSC mock tests, videos and quizzes.



सामान्य ज्ञान-विज्ञान का संपूर्ण कोश

मनोरमा इयर बुक 2024

स्पेशल फोकस

पीएससी प्रतियोगी परीक्षाएं

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर

भारत का अपना अंतरिक्ष केंद्र शीघ्र- श्रीधर सोमनाथ

भारत की सड़कें 5 वर्ष में अमरीकी स्तर की होंगी- नितिन गडकरी

भारतीय अर्थव्यवस्था 2031 तक 7.5 ट्रिलियन डॉलर की- अमिताभ कांत

लोकतंत्र पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, धर्मनिरपेक्षता पर सोनिया गांधी के विशेष लेख

सायबर सिक्योरिटी

महिला आरक्षण अधिनियम

भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति

चंद्रयान-3

आदित्य एल-1

नया संसद भवन

एशियाई खेल

Visit www.manoramayearbook.in

for daily updates on current affairs, UPSC mock tests, videos and quizzes

मनोरमा
इयर बुक 2024

कोट्टयम-686 001, केरल, भारत

प्रधान संपादक	: माम्मन मात्यु
संपादक	: फिलिप मात्यु
प्रबंध संपादक	: जैकब मात्यु
प्रभारी संपादक	: तॉमस डोमिनिक
वरिष्ठ उप संपादक	: प्रदीप कुमार
आवरण डिजाइन	: जॉर्ज के जे
सज्जा	: भाविन के. बी.

मलयाला मनोरमा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, कोट्टयम- 686 001 की तरफ से माम्मन मात्यु द्वारा मलयाला मनोरमा प्रेस, [illegible], कोट्टयम- [illegible] से मुद्रित और प्रकाशित।
संपादक : फिलिप मात्यु प्रकाशन का स्थान : मनोरमा बिल्डिंग्स, के.के. रोड, कोट्टयम-686 001, केरल
आर. एन. आई. रजिस्ट्रेशन नम्बर [illegible] आई.एस.एस.एन. [illegible]
आई.एस.बी.एन. [illegible]

मूल्य - ₹ 240

मनोरमा इयर बुक का प्रकाशन स्वतंत्र रूप से पांच भाषाओं में होता है। हिंदी के अतिरिक्त मनोरमा इयर बुक मलयालम, अंग्रेजी, तमिल एवं बांग्ला में उपलब्ध है।

प्रसार कार्यालय

[illegible]

नई दिल्ली
[illegible]
नई दिल्ली-110 [illegible]
फोन: 011-[illegible]

मुंबई
[illegible]
मुंबई-[illegible]
फोन: 022- [illegible]

कोलकाता
[illegible]
कोलकाता-[illegible]
फोन: [illegible]

हैदराबाद
[illegible]
हैदराबाद-500 [illegible]
फोन: 040- [illegible]

चेन्नई
[illegible]
चेन्नई -600 [illegible], फोन: 044- [illegible]

बेंगलुरु
[illegible]
बेंगलुरु-560 [illegible]
फोन: 080- [illegible]

कोयंबतूर
[illegible]
कोयंबतूर-641 [illegible]
फोन: 0422- [illegible]

पटना
[illegible]
पटना - 800 001
फोन: 0612-[illegible]

लखनऊ
[illegible] लखनऊ-226 [illegible]
फोन: 0522- [illegible]
ईमेल- [illegible]

चंडीगढ़
[illegible]
सेक्टर 21 सी, चंडीगढ़-160 [illegible]
फोन: 0172- [illegible]
ईमेल- [illegible]

भोपाल
[illegible]
भोपाल-462 [illegible]
फोन: 0755- [illegible]
ईमेल- [illegible]

जयपुर
[illegible]
जयपुर, राजस्थान- 302 [illegible]
फोन: 0141-[illegible]
ईमेल- [illegible]

पुणे
[illegible]
पुणे - 411 [illegible] मोबाइल- [illegible]

अहमदाबाद
[illegible]
अहमदाबाद-380 [illegible]
मोबाइल- [illegible]

[illegible] कोट्टयम - 686001, केरल, भारत, फोन : [illegible], [illegible]
फैक्स: 91-481-[illegible], ई-मेल : yearbook@mm.co.in

आमुख

एक बार फिर नए उत्साह, स्पेशल फोकस और अपडेट ज्ञान के साथ आपकी प्रिय इयर बुक प्रस्तुत है। उत्तर भारत के उम्मीदवारों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मनोरमा इयर बुक 2024 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे हिंदी भाषी राज्यों की लोक सेवा आयोग परीक्षाओं पर व्यापक पैकेज है।

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सामयिक मुद्दों के नियमित खंडों के साथ लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और इसरो प्रमुख श्रीधर सोमनाथ के विशेष लेख भी इस अंक में हैं।

पहली बार चंद्रयान 3 चाँद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा और इसरो अपने अंतरिक्ष केंद्र की योजना के माध्यम से नई मंजिलों की तरफ बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे पर विभिन्न आलेखों के जरिए गौरवमयी 7.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की दिशा में हमारी प्रस्तुति भी आपको पसंद आएगी। विशेष साक्षात्कार में नितिन गडकरी ने भारत की सड़कों को अगले पांच वर्ष में अमरीका के स्तर की बनाने की महत्वाकांक्षी योजना का विवरण दिया है।

इस अंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर परीक्षा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, स्टार्टअप, सायबर सिक्योरिटी, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के तुलनात्मक विशेलषण जैसे सारगर्भित लेख भी हैं।

हमारे खिलाड़ी एशियाई खेलों से रिकार्ड पदक जीतकर लाए और खेल जगत में भारत के बढ़ते कद से आप निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। मनोरमा इयर बुक 2024 में इस उपलब्धि को भी उचित स्थान दिया गया है।

सफलता की शुभकामनाएं।

माम्मन मात्यु
प्रधान संपादक



महिला आरक्षण अधिनियम: सपना हुआ साकार

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा 'उरतृप्त',
प्रसिद्ध साहित्यकार और स्तंभकार

आखिरकार लंबी प्रतीक्षा के उपरांत संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण का स्वप्न साकार हो ही गया। संसद ने संविधान (एक सौ अट्ठाइसवां संशोधन) विधेयक 2023 पारित कर दिया। लोकसभा में केवल सदस्यों ने विधेयक का विरोध किया जबकि राज्यसभा में इसका किसी ने विरोध नहीं किया। इस अधिनियम को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाएगा।

पृष्ठभूमि

भारत में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का इतिहास संघर्ष, प्रगति और महत्वपूर्ण मील के पत्थर से चिह्नित लंबी यात्रा है। महिलाओं को प्रणालीगत बाधाओं और सामाजिक पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ा, जिससे राजनीति में उनकी भागीदारी सीमित हो गई। हालाँकि, लगातार प्रयासों और विभिन्न सुधार आंदोलनों के माध्यम से, भारत में महिलाएँ राजनीतिक क्षेत्र में प्रभावशाली आवाज बनकर उभरी हैं।

स्वतंत्रता-पूर्व युग के दौरान, भारत में महिलाओं को राजनीतिक अधिकार और प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्रचलित सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों ने तय किया कि महिलाओं की प्राथमिक भूमिका घरेलू क्षेत्र तक ही सीमित रहे। झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई और बेगम रोकैया सखावत हुसैन जैसी कुछ उल्लेखनीय महिला समाज सुधारकों ने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा की वकालत की। हालाँकि, महिलाओं के साथ व्यापक भेदभाव ने राजनीतिक क्षेत्र में उनके प्रवेश में बाधा उत्पन्न की।

> महिला सशक्तिकरण के लिए मोदी के दृष्टिकोण का मुख्य स्तंभ शिक्षा है। उनका दृढ़ विश्वास है कि शिक्षा महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें समाज में पूरी तरह से सक्रिय भागीदारी निभाने में सक्षम बनाने की कुंजी है।

1950 में अपनाए गए भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करके महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की नींव रखी। संविधान में समानता, गैर-भेदभाव और महिलाओं के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के सिद्धांत निहित हैं। इस कानूनी ढांचे ने प्रचलित लैंगिक पूर्वाग्रहों को चुनौती देने और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है।



महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की आवश्यकता को पहचानते हुए, भारत सरकार ने 1992 में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के अधिनियम के साथ स्थानीय सरकारी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की शुरुआत की। इन संशोधनों में यह अनिवार्य किया गया कि स्थानीय पंचायतों और नगर पालिकाओं में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएं।

इस ऐतिहासिक निर्णय का उद्देश्य महिलाओं का प्रतिनिधित्व और जमीनी स्तर की राजनीति में उनकी भागीदारी को बढ़ाना था। स्थानीय स्तर पर आरक्षण की सफलता के बाद, भारत के कई राज्यों ने राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए कोटा लागू करना शुरू कर दिया। इस तरह का प्रावधान लागू करने वाला पहला राज्य ओडिशा था, उसके बाद बिहार, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों ने ऐसे प्रावधान किए। इसने राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए निश्चित संख्या में सीटें सुनिश्चित कीं, जिससे राजनीतिक परिदृश्य में उनकी उपस्थिति और प्रभाव बढ़ गया।

महिला आरक्षण विधेयक की संघर्षमयी यात्रा

महिला आरक्षण विधेयक की उत्पत्ति 1990 के दशक की शुरुआत में हुई जब महिला अधिकार संगठनों और कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के लिए अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की वकालत शुरू की। विधायिकाओं में महिलाओं के लिए कोटा प्रणाली की मांग ने 1995 में बीजिंग में आयोजित महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन के बाद गति पकड़ी, जहां भारत सरकार ने शासन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का वादा किया।

1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य अधिक समावेशी और लैंगिक रूप से संतुलित राजनीतिक परिदृश्य सुनिश्चित करते हुए संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करना था। हालाँकि, बिल को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा और पारित नहीं किया जा सका।

तब से, महिला आरक्षण विधेयक को कई बार संसद में पेश किया गया लेकिन इसे काफी विरोध और विवाद का सामना करना पड़ा है। विधेयक के विरोधियों का तर्क था कि यह टोकनवाद को बढ़ावा देता है और योग्यता के सिद्धांत को कमजोर करता है। कुछ राजनीतिक दलों ने हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए मौजूदा आरक्षण पर इस विधेयक के दुष्प्रभाव के बारे में भी चिंता व्यक्त की थी।

चुनौतियों के बावजूद वर्तमान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार महिला सशक्तिकरण और महिला आरक्षण विधेयक पारित करवा कर ऐतिहासिक उपलब्धि अर्जित की है। उन्होंने निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है और माना है कि महिलाओं का दृष्टिकोण और नेतृत्व देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है।

महिला सशक्तिकरण के लिए मोदी का दृष्टिकोण सिर्फ राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं वरन उससे परे है। वह महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता में समान अवसर प्रदान करने में विश्वास करते हैं। उनकी सरकार ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई पहल और योजनाएं शुरू की हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, सभी स्तरों पर शासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं।

19 सितंबर से आरंभ विशेष सत्र के दूसरे दिन, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में उद्घाटन भाषण में महिलाओं के नेतृत्व वाले





विकास के महत्व पर जोर दिया। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने नीति-निर्माण के दायरे में अधिक महिलाओं को शामिल करने के महत्व को रेखांकित किया, जिससे राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को बढ़ाया जा सके।

इस महत्वपूर्ण अवसर पर उन्होंने सदस्यों से संसदीय लोकतंत्र में महिलाओं को अधिक अवसर उपलब्ध कराने को कहा। भारतीय संविधान में इस एक सौ अट्ठाईसवें संशोधन का उल्लेख करते हुए, उन्होंने नीति-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली की मजबूती को बढ़ाने के उपाय के रूप में नारी शक्ति वंदन विधेयक की जानकारी दी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि वर्तमान जनगणना पूरी होने और संबंधित जनसंख्या आंकड़े प्राप्त होने के बाद परिसीमन किया जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद आरक्षण दिया जाएगा। लोकसभा में इस विधेयक के विरोध में मात्र दो सदस्य रहे। उसके एक दिन बाद, 21 सितंबर 2023 को राज्य सभा में विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया गया।

मोदी की दूरगामी सोच

नरेंद्र मोदी 2014 में भारत के 14वें प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद से ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए उनके दृष्टिकोण में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल और राजनीतिक भागीदारी सहित कई प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। विभिन्न पहल, नीतियों और सुधारों के माध्यम से मोदी ने महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और उन्हें विकास के लिए समान अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा है।

महिला सशक्तिकरण के लिए मोदी के दृष्टिकोण का मुख्य स्तंभ शिक्षा है। उनका दृढ़ विश्वास है कि शिक्षा महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें समाज में पूरी तरह से सक्रिय भागीदारी निभाने में सक्षम बनाने की कुंजी है। सरकार ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान जैसी पहल शुरू की हैं जो लिंग अनुपात में सुधार और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं। स्कूलों में लड़कियों का नामांकन और बरकरार रखना सुनिश्चित करने के लिए इस योजना के तहत छात्रवृत्ति, वजीफा और बुनियादी ढांचे के विकास सहित विभिन्न उपाय लागू किए गए हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने आंकड़ों का उदाहरण देते हुए कहा कि लोकसभा की 2023 की संरचना से महिला सांसदों के कम प्रतिनिधित्व का पता चलता है, जो इसके सदस्यों में से 15 प्रतिशत से भी कम है। इसी तरह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचलप्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र,मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा सहित विभिन्न राज्य विधानसभाओं में यह लिंग असमानता अधिक मजबूत है। पुद्दुचेरी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10 प्रतिशत से भी कम है।

लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में क्रमिक वृद्धि देखी गई है। यह पहली लोकसभा में मात्र 5% से बढ़कर वर्तमान 17वीं लोकसभा में 14% की वृद्धि तक पहुंच गई है। 2019 के आम चुनाव में कुल 716 महिला उम्मीदवारों ने भाग लिया, जिनमें से 78 महिलाएं 17वीं लोकसभा के लिए चुनी गईं। यह 2014 के चुनाव की तुलना में लगभग एक चौथाई अधिक है, जहां 62 महिला सांसद चुनी गईं थीं।

नवनिर्मित संसद भवन में कामकाज के पहले दिन केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान (एक सौ अट्ठाइसवां संशोधन) विधेयक, 2032 पेश करते हुए कहा इसका लक्ष्य महिला सांसदों की संख्या को 181 तक बढ़ाना है। इस समय लोकसभा में कुल 542 सदस्य हैं जिनमें से 78 महिलाएं हैं।

इसी प्रकार, वर्तमान राज्यसभा में 224 सदस्य हैं, जिनमें 24 महिलाएं हैं। 2023 में कुल 102 महिलाएं सांसद हैं। 20 सितंबर 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री





अमित शाह ने महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान बताया कि जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद होगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के कौशल विकास और उद्यमिता पर भी जोर दिया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का उद्देश्य व्यावसायिक प्रशिक्षण और प्रमाणन सहित युवा पुरुषों और महिलाओं के कौशल को उन्नत करना है। इस पहल ने विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार और उद्यमिता के अवसर बढ़ाने के लिए महिलाओं को आवश्यक कौशल और आत्मविश्वास प्रदान किया है।

रोजगार के मामले में सरकार ने महिलाओं के लिए काम करने और सफल होने के लिए अनुकूल माहौल बनाने का लक्ष्य रखा है। मोदी सरकार ने कार्यस्थल में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए नीतियां लागू की हैं, जिनमें मातृत्व अवकाश को बढ़ाना, कार्यस्थल पर उत्पीड़न से सुरक्षा उपाय शुरू करना और कंपनियों को डे-केयर सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है।

उद्यमी महिलाओं को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए डिजिटल बाजार प्रदान करके उनके उद्यमशीलता प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए महिला ई-हाट प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया गया है।

स्वास्थ्य सेवा महिला सशक्तिकरण का और महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर मोदी सरकार ने ध्यान केंद्रित किया है। सरकार ने गर्भवती महिलाओं और शिशुओं की भलाई सुनिश्चित करने के लिए प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) जैसे कार्यक्रम लागू किए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को प्रसवपूर्व मुफ्त देखभाल प्रदान करना और देश भर में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना है।

महिला सशक्तिकरण के लिए राजनीतिक भागीदारी भी महत्वपूर्ण है और मोदी ने निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। सरकार ने महिला सरपंच आरक्षण विधेयक जैसी पहल के माध्यम से राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया है, जो स्थानीय शासी निकायों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करता है।

इसके अतिरिक्त मोदी ने राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी का आह्वान किया है और राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सत्ता के पदों पर अधिक महिलाओं की वकालत की है। मोदी ने लगातार लैंगिक समानता के महत्व और महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

स्वच्छ भारत अभियान (स्वच्छ भारत मिशन) जैसे अभियानों के माध्यम से सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच के महत्व पर प्रकाश डाला है। इस पहल ने न केवल स्वच्छता को बढ़ाया बल्कि महिलाओं के लिए सुरक्षित और अधिक समावेशी वातावरण बनाने की दिशा में भी काम किया है।

विधेयक पर बनाई आम सहमति

महिला आरक्षण विधेयक के लिए आम सहमति बनाना और सर्वदलीय समर्थन हासिल करना महिला सशक्तिकरण के लिए नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का अनिवार्य पहलू है। महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विधेयक को पारित करने के लिए राजनीतिक विभाजन को पाटने, सभी पक्षों को शामिल करने और सर्वसम्मति-आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास की आवश्यकता होती है।

नरेंद्र मोदी के विचार में महिला आरक्षण विधेयक पर सर्वसम्मति हासिल करना इसके पारित होने के लिए महत्वपूर्ण है। यह विधेयक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अधिक लैंगिक समानता और प्रतिनिधित्व लाने का प्रयास है, जिसे पार्टी संबद्धता से परे केवल सामूहिक प्रयास के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता था। मोदी ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ





जुड़ने की आवश्यकता को प्राथमिकता दी और उन्हें पक्षपातपूर्ण हितों से ऊपर उठने एवं लैंगिक समानता के व्यापक मुद्दे पर एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित किया।

आम सहमति बनाने के लिए मोदी की प्रमुख रणनीतियों में से एक विभिन्न संबंधित पक्षों के साथ व्यापक बातचीत और परामर्श करना रहा। राजनीतिक विचारधाराओं और दृष्टिकोणों की विविधता को पहचानते हुए मोदी सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहे, उनके सुझाव लिए और उनकी चिंताओं का समाधान किया। इस प्रकार के परामर्श ने विभिन्न आवाजों को सुनने के लिए मंच प्रदान किया। इससे बिल की सूक्ष्म समझ में सुविधा हुई और इसके निहितार्थों पर रचनात्मक चर्चा की अनुमति मिली। मोदी का मानना है कि सर्वदलीय समर्थन हासिल करने के लिए मौजूद किसी भी आपत्ति या आशंका को दूर करना जरूरी है। उन्होंने सक्रिय और समावेशी दृष्टिकोण अपनाया, विपक्षी नेताओं तक पहुंच बनाई और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए बातचीत में शामिल हुए।

खुलेपन और सहयोग के माहौल को बढ़ावा देकर मोदी का लक्ष्य विश्वास पैदा करना और महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के महत्व की आम समझ बनाना था। महिला आरक्षण विधेयक के लिए सर्वदलीय समर्थन हासिल करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू इसके लाभों की अभिव्यक्ति है। मोदी ने अपनी सरकार के साथ-साथ लगातार इस बात पर जोर दिया है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि से राजनीतिक व्यवस्था के समग्र कामकाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

महिलाओं के विविध दृष्टिकोणों और अनुभवों को उजागर करके मोदी ने कहा कि लैंगिक प्रतिनिधित्व न केवल समानता का मामला है, बल्कि प्रभावी शासन के लिए व्यावहारिक अनिवार्यता भी है। महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को प्रगति और समावेशी विकास के उत्प्रेरक के रूप में पेश करके मोदी ने सभी पार्टियों के बीच समर्थन जुटाने का प्रयास कि

इसके अलावा, मोदी का मानना था कि सर्वसम्मति बनाने और सर्वदलीय समर्थन हासि करने के लिए विधेयक के उद्देश्यों की व्या सामाजिक समझ और स्वीकृति की आवश्यक है। इसे हासिल करने के लिए उन्होंने महिला के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लाभों के बा में जागरूकता पैदा करने के लिए सार्वजनि संबोधन, सोशल मीडिया और सामुदायि सहभागिता कार्यक्रमों सहित विभिन्न प्लेटफा का लाभ उठाया है।

आम सहमति बनाने की पूरी प्रक्रिया के दौरा मोदी सरकार ने बहुआयामी रणनीति भी अपना जिसमें संसदीय तंत्र, समितियों और आयोगों लाभ उठाना शामिल है। विभिन्न संबंधित प को शामिल करके, विशेषज्ञों की राय लेकर औ व्यापक अध्ययन करके सरकार ने नीति-निर्मा के लिए सुविज्ञ और साक्ष्य-आधारित दृष्टिको सुनिश्चित किया। इसने महिला आरक्षण विधेय



के लिए मजबूत मामला बनाने में योगदान किया और नपी-तुली एवं अच्छी तरह से तर्क-वितर्क के माध्यम से चिंताओं को दूर करके सर्वदलीय समर्थन हासिल करने में मदद की।

संगठन कौशल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य प्रधानमंत्रियों की तुलना में विशेष हैं क्योंकि वह ऐसे महापुरुष हैं जो गहरे संकल्प और संगठनशीलता के साथ देश के विकास के लिए काम करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी समस्त प्राथमिकता मानवीय विकास, गरीबी उन्मूलन और देश के शक्तिशाली बनाने के लिए है। उन्होंने नए अभियान, योजनाएँ और नीतियाँ शुरू की हैं जो अलग-अलग विचारधारा से मुक्त होकर आपसी सहयोग और सह-निर्माण पर आधारित हैं। कर्मठ और जिजिविषा के महान प्रतीक प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण बिल को मातृशक्ति के प्रति ऋण चुकाने का पावन अवसर मानते हुए जी-जान से प्रयास किए और सफल हुए। ■

